198

पत्रांक.....1544...../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार, भा0प्र0से0,
अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 5/6/17

विषय : **आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्य हेतु राज्य आपदा रिस्पौंस बल (SDRF) के टीमों को जिलों में प्रतिनियुक्त करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से तत्काल राहत एवं बचाव कार्य प्रारम्भ करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा 6 जिलो में एस0डी0आर0एफ0 टीमों की स्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति की गई थी एवं प्रतिनियुक्त एस0डी0आर0एफ0 टीमों के बीच जिम्मेवारी का ईलाका भी निम्नवत् निर्धारित किया गया था :–

SDRF टीमों की बाढ़ प्रवण जिलों में पूर्व प्रतिनियुक्ति		
क0	**SDRF टीमों की अवस्थिति**	रिस्पौंस के जिले
1	खगड़िया	खगड़िया, बेगूसराय एवं नवगछिया अनुमंडल
2	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी एवं शिवहर
3	पूर्णियां	पूर्णियां प्रमंडल के जिले
4	भागलपुर	भागलपुर, बांका, मुंगेर, शेखपुरा एवं लखीसराय
5	मधुबनी	मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर
6	मधेपुरा	मधेपुरा, सहरसा, सुपौल

विभागीय पत्रांक 391/आ0प्र0, दिनांक 17.03.2017 के द्वारा एस0डी0आर0एफ0 की एक टीम की प्रतिनियुक्ति स्थायी रूप से वैशाली जिला (हाजीपुर) में की गई है। इस प्रकार आपदा से निपटने हेतु एस0डी0आर0एफ0 की टीमें अब 7 जिलों में स्थायी रूप से प्रतिनियुक्त हैं। उक्त के आलोक में प्रतिनियुक्त एस0डी0आर0एफ0 टीमों के बीच बाँटे गए जिम्मेवारी का ईलाका को संशोधित करते हुए निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:–

SDRF टीमों की बाढ़ प्रवण जिलों में पूर्व प्रतिनियुक्ति		
क0	SDRF टीमों की अवस्थिति	रिस्पौंस के जिले
1	खगड़िया	खगड़िया, बेगूसराय एवं नवगछिया अनुमंडल
2	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी एवं शिवहर
3	पूर्णियां	पूर्णियां प्रमंडल के जिले
4	भागलपुर	भागलपुर, बांका, मुंगेर, शेखपुरा एवं लखीसराय
5	मधुबनी	मधुबनी, दरभंगा
6	मधेपुरा	मधेपुरा, सहरसा, सुपौल
7	वैशाली	वैशाली, समस्तीपुर

किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्य के उद्देश्य से उपरोक्त प्रतिनियुक्त एवं रिस्पौंस के जिलों में एस0डी0आर0एफ0 टीमों के भाग लेने एवं उक्त पर होने वाले व्यय के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 2359 दिनांक 14.06.2016 के द्वारा निदेश दिए गए हैं, जो निम्नवत हैं :–

(क) जिन–जिन जिलों में एस0डी0आर0एफ0 टीमों की प्रतिनियुक्ति है, वहाँ के जिला पदाधिकारी के आदेश से एस0डी0आर0एफ0 टीमों को राहत एवं बचाव कार्य में भाग लेना है।

(ख) जिम्मेवारी के जिलों में कोई भी प्राकृतिक आपदा की स्थति में संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी उनसे संबंधित SDRF टीम की तत्काल मदद ले सकते है। वे प्रतिनियुक्ति जिले के जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से संपर्क करेंगे। जो अपने जिले में प्रतिनियुक्ति SDRF के कर्मियों में से आवश्यकतानुसार टीमे भेजने का आदेश देंगे।

(ग) SDRF टीमों की प्रतिनियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्ति स्थल के जिला पदाधिकारी टीमों को घटनास्थल पर भेजने हेतु सभी सुविधा जैसे– गाड़ियों/वोट आदि के ईंधन की व्यवस्था करेंगे।

(घ) SDRF टीमों की प्रतिनुियक्ति तथा गाड़ियों, ईंधन आदि पर आनेवाला खर्च आबादी निष्क्रमण मद से किया जा सकता है।

2. उपरोक्त प्रतिनियुक्त एवं रिस्पौंस के जिलों के अतिरिक्त अन्य जिलो द्वारा भी समय–समय पर आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से एस0डी0आर0एफ0 टीम की अधियाचना की जाती है। इस संबंध में निम्नलिखित निदेश दिया जाता है :–

i. किसी भी आपदा/ संभावित आपदा से निपटने हेतु एस0डी0आर0एफ0 टीम की मांग से संबंधित अधियाचना भेजने के पूर्व संबंधित जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित हो लेंगे कि आपदा/ संभावित आपदा की तीव्रता इतनी गंभीर प्रवृति की है/ हो सकती है कि जिला में उपलब्ध संसाधनों द्वारा इससे निपटना

संभव नहीं है।

ii. एस0डी0आर0एफ0 की प्रतिनियुक्ति के लिए विभाग को भेजे जाने वाले अधियाचना की एक प्रति सीधे समादेष्टा, एस0डी0आर0एफ0 (ईमेल– sdrfbihar125@gmail.com फैक्स नं0–06115–252028) को भी प्रेषित किया जाय। जिलों से अधियाचना प्राप्त होते ही समादेष्टा, एस0डी0आर0एफ0 घटना स्थल पर भेजे जाने वाले एस0डी0आर0एफ0 टीम को तैयार करने के संबंध में त्वरित कार्रवाई करेंगे एवं आपदा प्रबंधन विभाग से निदेश प्राप्त होते ही टीम को घटना स्थल पर रवाना कर देगें।

जिलों से प्राप्त अधियाचना में उल्लेखित घटनाओं/ परिस्थितियों के संबंध में समादेष्टा, एस0डी0आर0एफ0 को महसूस हो कि वर्णित घटनाएं/परिस्थितियाँ Emergent Nature की हैं, तो समादेष्टा, एस0डी0आर0एफ0 त्वरित कार्रवाई करते हुए एस0डी0आर0एफ0 टीम को तुरन्त संबंधित जिले में रवाना कर देगें एवं इसकी सूचना विभाग को देंगे।

iii. समादेष्टा, एस0डी0आर0एफ0 जिलों में एस0डी0आर0एफ0 टीम भेजने के पूर्व टीम के साथ भेजे जा रहे मोटरबोटों के निमित्त 50–50 ली0 ईंधन की व्यवस्था एस0डी0आर0एफ0 मुख्यालय स्तर से ही करेंगे। जिलों में राहत एवं बचाव कार्य के दौरान अतिरिक्त ईंधन की आवश्यकता होने पर संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा ईंधन की व्यवस्था की जाएगी।

iv. जिलों में एस0डी0आर0एफ0 टीमों के पहुंचने पर उनके आवासन, भोजन एवं परिवहन आदि की समुचित व्यवस्था संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी के द्वारा की जाएगी।

अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

5/6/17

अपर सचिव।

ज्ञापांक–1544/आ0प्र0, पटना–15 दिनांक– 5/6/17

प्रतिलिपि–समादेष्टा, एस0डी0आर0एफ0/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

5/6/17

अपर सचिव।